भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. 137*

13 फरवरी, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

धुबरी में बुनियादी ढांचे के विकास और स्मार्ट सिटी संबंधी पहल

***137. मोहम्मद रकीबुल हुसैनः**

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा धुबरी की बढ़ती आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए जल आपूर्ति, स्वच्छता, जल-मल निकास व्यवस्था और सड़क नेटवर्क सहित आधारभूत शहरी बुनियादी ढांचे में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(ख) सरकार धुबरी में रहन-सहन की स्थिति को बेहतर करने और वहां आर्थिक अवसर बढ़ाने के लिए धुबरी को स्मार्ट सिटी मिशन या अन्य शहरी विकास योजनाओं में सम्मिलित किए जाने हेतु किस प्रकार सहयता कर रही है; और

(ग) क्या सरकार की अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) या इसी तरह की योजनाओं के तहत धुबरी में सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को आधुनिक बनाने, हरित क्षेत्रों को बढ़ाने और सतत शहरी विकास को बढ़ावा देने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (ग): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

'धुबरी में बुनियादी ढांचे का विकास और स्मार्ट सिटी संबंधी पहल' के संबंध में 13 फरवरी, 2025 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 137 के उत्तर में भाग (क) से (ग) में संदर्भित विवरण ।

(क) से (ग): संविधान के अनुच्छेद 243ब के प्रावधानों के अनुसार, सातवीं और बारहवीं अनुसूची के संयोजन में, शहरी विकास से संबंधित मामले राज्यों/शहरी स्थानीय निकायों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। हालांकि, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) अपने प्रमुख मिशनों/कार्यक्रमों जैसे अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) और अमृत 2.0, स्वच्छ भारत मिशन- शहरी (एसबीएम-यू) और एसबीएम-यू 2.0, स्मार्ट सिटीज मिशन (एससीएम), प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी (पीएमएवाई-यू), आदि के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनके शहरी विकास एजेंडे में कार्यक्रम संबंधी सहायता प्रदान करता है। इन मिशनों/योजनाओं/परियोजनाओं को राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा इन मिशनों के तहत कवर किए गए शहरों और कस्बों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए मिशन दिशानिर्देशों के अनुसार कार्यान्वित किया जाता है।

अमृत योजना 25 जून 2015 को देश भर के चयनित 500 शहरों (15 विलय किए गए शहरों सहित अब 485 शहर) और कस्बों में शुरू की गई थी। हालाँकि, धुबरी जिला अमृत योजना के अंतर्गत शामिल नहीं है।

अमृत 2.0 को 01 अक्टूबर 2021 को परियोजनाओं के लिए 66,750 करोड़ रूपए की केंद्रीय सहायता (सीए) के साथ शुरू किया गया था। इस योजना के तहत, राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को अमृत 2.0 दिशानिर्देशों के व्यापक फ्रेमवर्क के भीतर परियोजनाओं को डिजाइन करने, स्वीकृत करने, प्राथमिकता देने और लागू करने का अधिकार है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य उच्चाधिकार प्राप्त संचालन समिति (एसएचपीएससी) की सिफारिश के अनुसार अमृत 2.0 के तहत राज्य जल कार्य योजनाओं (एसडब्ल्यूएपी) को मंजूरी देता है। अमृत 2.0 के तहत अब तक धुबरी जिले में 58.21 करोड़ रूपए की एक जलापूर्ति परियोजना को आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा मंजूरी दी गई है।

एसबीएम-यू को धुबरी सहित देश के सभी शहरी क्षेत्रों में शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है, ताकि व्यक्तिगत घरेलू शौचालय (आईएचएचएल)/सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालय (सीटी/पीटी)/मूत्रालय/आकांक्षा के अनुरूप शौचालयों का निर्माण करके शहरी इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा सके और शहरों में नगरपालिका ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं का निर्माण किया जा सके। 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों के संबंध में, अपशिष्ट जल शोधन सुविधाओं को

भी एसबीएम-यू 2.0 के प्रयुक्त जल प्रबंधन (यूडब्ल्यूएम) घटक के अंतर्गत शामिल किया गया है।

इसके अलावा, संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत स्वच्छता राज्य का विषय है, देश के शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता परियोजनाओं की आयोजना, डिजाइन, कार्यान्वयन और संचालन राज्य/यूएलबी की जिम्मेदारी है। राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा रिपोर्ट की गई एसबीएम-यू के तहत सभी परियोजनाओं का विवरण एसबीएम-यू, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय पोर्टल https://sbmurban.org/swachh-bharat-mission-progess पर उपलब्ध है।

राज्य स्तरीय तकनीकी समिति (एसएलटीसी) द्वारा विधिवत अनुमोदित पूर्ण प्रस्तावों के रूप में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा की गई मांग के आधार पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्रीय हिस्से की निधियां जारी की जाती है, जो आगे संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को अग्रेषित है।

चुनौती प्रक्रिया के 2 चरणों के बाद एससीएम के तहत एससीएम-100 शहरों का चयन किया गया। पहले चरण में, राज्य सरकारों ने राज्य को आवंटित शहरों के अनुसार पूर्ववर्ती स्थितियों और स्कोरिंग मानदंडों के आधार पर राज्य के भीतर संभावित स्मार्ट सिटीज का चयन किया। पहले चरण में सफल होने वाले शहरों की अनुशंसा राज्य सरकारों द्वारा आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय को की गई। धुबरी के संबंध में प्रस्ताव असम राज्य सरकार द्वारा अनुशंसित शहरों की सूची में नहीं था।

*****